



राजस्थान राज्यपत्र

विशेषांक

विधिकार प्रकाशित

Regd. No. R.J. 2539

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कालिक 20, बुधवार, शाके 1914—नवम्बर 11, 1992

Kattika 20, Wednesday, Saka 1914 November 11, 1992

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधावी प्राप्ताण) विभाग

(प्रकोष्ठ-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर, 11, 1992

संख्या प. 2 (39) विधि/2/92.—राजस्थान विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हुई, एवं द्वारा सर्व धारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्या 27)

[राज्यपाल महोदय को अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हुई]

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन को और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और उनसे संबंधित और उनके आनुवंशिक विषयों के लिए उगावन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के हैतातीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रतार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिमापां—इस अधिनियम में—

(क) "परीक्षा-केन्द्र" से, सार्वजनिक परीक्षा ग्रामोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभियोग है और उसमें उपर्युक्त सम्पूर्ण परिसर सम्मिलित है;

(ब) "सार्वजनिक परीक्षा" से, अनुसूची में विनिश्चिट कोई भी परीक्षा अभियोग है;

(ग) किसी परीक्षा के संबंध में "प्रतुचित साधन" से, किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रदृश का उत्तर देते समय, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दूरभावित, भेतार या इलेक्ट्रोनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग अभियोग है;

(घ) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिमापित नहीं किये गये निन्तु गारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिमापित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के बे अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं ।

3. अनुचित साधनों के उपर्योग का प्रतिवेद्य—कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा ।

4. प्रश्न-पत्र का अप्राधिकृत करना या प्रकटन—कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक आवधिकृत या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी या प्रश्नपत्री के वितारण के लिए नियत समय के पूर्व—

(क) ऐसा प्रश्न पत्र या उत्तर कोई भी भाग या प्रति उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कठज्ज्ञ में नहीं लेगा, या ।

(ख) हीसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न-पत्र से संबंध, उत्तर या संबंधित होगे को वह जानता है या ऐसा विस्वास करने का उसके पास कारण है ।

5. परीक्षा-कार्यालयस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम—कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य नयस्त किया गया है, सिवाय वहाँ के जहाँ उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, कोई भी ऐसी सूचना या उसका गाग, जो उत्तर कार्य उस पर इस प्रकार न्यस्त किये जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परीक्षा रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा ।

6. शास्ति—जो कोई भी धारा 3 या धारा 4 या धारा 5 के उपकरणों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह ऐसी अवधि के कारबाहास से, जो तो तक वर्त तक को हो सकेगी या ऐसे जुमानि से जो दो हजार अप्रैतक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जायेगा ।

17. उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अवराध करने के कारण शाहि ।—जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या किसी भी व्यक्ति को उपहति कारित करने या किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए या किसी भी व्यक्ति को सदोष अवरोध का भय पैदा करने के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पृथ्ये या उपहति या हमले या सदोष अवरोध का भय पैदा करने के लिए तैयारी करके धारा 6 के अधीन वष्टनीय कोई अपराध करता है वह ऐसी अवधि के कारबास से, जो तीन वर्ष तक की हो रहेगी, बिंदित किया जायेगा और ऐसे जुमने का, जो पांच हजार रुपये तक का हो रहेगा, दावी भी होगा ।

8. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी जिसी भी अन्य सार्वजनिक पर्याप्ताको अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी जिसके संयंघ में वह इस अधिनियम के उपर्यन्धों को लागू करना आवश्यक रामबाण और राज-पत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तब्दुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी।

प्राची

. (धारा- 2)

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा प्रधिनियम, 1957 (1957 का प्रधिनियम सं. 42) के अधीन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।
 2. भारत में विधि द्वारा स्वतंत्र किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।
 3. राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।

जै. पी. बंसल,
शासन सचिव

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)
NOTIFICATION

Jaipur, November 11, 1992.

No. F. 2 (39) Vidhai/2/92.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sarvajanik Pareeksha (Anuchit Sadhanan

ki Roktham) Adhiniyam, 1992 (Adhiniyam Sankhya 27 of 1992):—

**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION
(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) ACT, 1992**

(Act No. 27 of 1992)

(Received the assent of the Governor on the 8th day of November, 1992).

**An
Act**

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans at public examinations and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Act,—

- (a) “examination centre” means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto;
- (b) “public examination” means any of the examination specified in the schedule;
- (c) “unfairmeans” in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), have the meanings respectively assigned to them in that code.

3. Prohibition of use of unfairmeans.—No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. Unauthorised possession or disclosure of question paper.—No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall, before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination—

(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to, or derived from or to have a bearing upon such question paper.

5. Prevention of leakage by person entrusted with examination work.—No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly, or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. Penalty.—Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

7. Penalty for offence with preparation to cause hurt.—Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any

person or for wrongfully restraining any person" or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

8. Power to amend Schedule.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

THE SCHEDULE

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education for Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, 1957 (Act No. 42 of 1957).

2. Any examination conducted by any University established by law in India.

3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission or Union Public Service Commission.

जे. पी. बंसल,

Secretary to the Government.